न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 3/2018 (डूंगरपुर आर्डर)

श्रीमती शान्ता देवी पत्नी पूनमचन्द लबाना, निवासी न्यू कॉलोनी, डूंगरपुर (राज.)

....
अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

....
रेस्पोन्डेन्ट

(2) प्रकरण संख्या 4/2018 (डूंगरपुर आर्डर)

श्रीमती जयश्री पत्नी भुवेश लबाना, निवासी न्यू कॉलोनी, डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

....
रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर डूगरपुर दिनांक 22–03–2014, प्रकरण संख्या कमशः 04/2017 एवं 05/2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

———/———

निर्णय दिनांक

15–05–2019

उपरोक्त दोनों प्रकरणों में सिर्फ अपीलान्ट अलग–अलग हैं, किन्तु प्रकरण के तथ्य, विषय वस्तु एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रकृति एक समान है तथा विवाद की प्रकृति भी एक समान होने से दोनों प्रकरणों का एक साथ निर्णय किया जाना हम उचित समझते है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न रहे।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त दोनों प्रकरणों के अपीलान्ट को जिला कलक्टर, डूंगरपुर के आदेश दिनांक 28–10–2010 से ग्राम लक्ष्मणपुरा की आराजी नंबर 806/760 रकबा 50 बीघा किस्म बिलानाम मगरी में से प्रत्येक को 10–10 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित हुई। तहसीलदार ने दिनांक 23–2–2012 को जिला कलक्टर को अवगत कराया कि आवंटी द्वारा लीज शर्त अनुसार 2 वर्ष के भीतर भूमि का आवंटन प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया है तथा उद्योग नहीं लगाया गया है एवं मौके पर भूमि खाली पड़ी हुई है। इस पर जिला कलक्टर ने आवंटन शर्तो का उल्लंघन मानते हुए अपने आदेश दिनांक 08–04–2013 एवं 17–04–2013 से उक्त दोनों आवंटन निरस्त कर भूमि वापस सरकार को प्रत्यावर्तित (Revert) किये जाने के आदेश दिये।

जिला कलक्टर डूंगरपुर के उक्त आदेशों से रूष्ट होकर दोनों अपीलों के अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में कमशः प्रकरण संख्या 4/2013 व 5/2013 प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12–11–2013 से अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए मयाद बढ़ाने के बिन्दु पर पुनः निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः अपने आदेश दिनांक 15–10–2014 से आवंटन निरस्त कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 15–10–2014 के विरूद्ध दोनों प्रकरणों के अपीलान्ट द्वारा कमशः प्रकरण संख्या 5–2014 एवं 6/2014 प्रस्तुत किये गये, जो इस न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 05–12–2016 से

दोनों अपीलें स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त कर दिया तथा प्रकरण में राज्य सरकार की मंशानुरूप उद्यमियों को प्रोत्साहन देने तथा राष्ट्र विकास के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर पुनः नये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने पुनः अपने निर्णय दिनांक 22–03–2018 से अपने पूर्व आवंटन निरस्तो के आदेश कमशः दिनांक 08–04–2013 एवं 17–04–2013 को बहाल रखा।

अधिनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 22–03–2018 से रूष्ट होकर पुनः उक्त दोनों अपीलों के अपीलान्ट द्वारा कमशः अपील संख्या 3/2018 एवं 4/2018 इस न्यायालय में दिनांक 09–04–2018 को प्रस्तुत की गई हैं।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर ने उपस्थिति दी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण रिमाण्ड होने के बाद उसे समय सीमा बढ़ाने के प्रार्थना पत्र के संबंध में राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाना था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दु को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली 8 माह तक दबाकर रखी गयी एवं 8 माह बाद द्ववेषता पूर्ण निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि अपीलान्ट को समय पर भूमि का कब्जा सिर्पुद नहीं किया गया इस कारण अपीलान्ट उद्योग नहीं लगा सका। अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन आदेश के रूल नंबर 7 का हवाला देते हुए आवंटन निरस्त कर दिया है, जबकि उद्योग स्थापित न करने का उपयुक्त कारण अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को बता दिया गया था, साथ ही मयाद बढ़ाने हेतु निवदेन किया गया था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया। अतः अपीलें

स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22—03—2018 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के हक में किये गये आवंटन को बहाल रखे जाने का आदेश पदान करते हुए अपीलान्ट को उद्योग लगाने हेतु समय बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अतः उक्त दोनों अपीलों मे इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 05—12—2016 को दिये गये निर्देश कि अपीलान्ट को मयाद वृद्धि के संबंध में सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित किया जावे, पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करते हुए अपने पूर्व के आदेश को ही दोहराते हुए 2 वर्ष में उद्योग स्थापित नहीं करना मानकर अपने पूर्व के आवंटन निरस्ती के आदेश दिनांक 08—04—2013 को यथावत रखा है, जबकि इस न्यायालय के रिमाण्ड आदेश के बाद अपीलान्ट द्वारा अवधि बढ़ाये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी है तथा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये आवंटन निरस्ती के अपने पूर्व के आदेश को ही यथावत रखा है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22—03—2018 अपास्त किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा दिये गये पूर्व निर्देशों अनुसार ही प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में अपीलान्ट को मयाद वृद्धि के प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हेतु दिनांक 15—07—2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **15–05–2019** को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर